| | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |

माघ 08, बुधवार, *शाके* 1947- जनवरी 28, 2026
Magha 08, Wednesday, Saka 1947- January 28, 2026

भाग-1(ख)

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर
कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भूमि अवाप्ति उपखण्ड अधिकारी भदेसर चितौड़गढ़(राज.)
अधिसूचना
चित्तौडगढ़, जनवरी 08, 2026
(धारा–19 अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत घोशणा एवं सार नियम के उपनियम–(1) देखे घोशणा)

संख्या एफ 2(29)/सानि/एएस/अनु.2/2025–26/डी :–राजस्थान सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची की संबंध सारणी में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिऐ ग्राम भदेसर तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ़ में भदेसर बाईपास निर्माण कार्य के दौरान भूमि अवाप्ति के लिऐ अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के क्रमांक.2(29)/PW/AS/ Sec.II/2025-26/D Rajkaj Ref. no. 17291728 दिनांक 21.08.2025 द्वारा भूमि अवाप्ति की स्वीकृति जारी हो चुकी है।

अतः एतद्द्वारा घोशणा की जाती है कि मानक माप के अनुसार 0.3598 हैक्टेयर भूमि के खण्डों का उपरोक्त परियोजन के लिऐ ग्राम भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चितौड़गढ़ भूमि का सार्वजनिक प्ररियोजनार्थ अधिग्रहण किया जाना है। जिसका विस्तृत विवरण निम्न सूची के अनुसार है।

| जिला | तहसील | ग्राम | खसरा संख्या | क्षेत्रफल(हैक्टेयर) |
|---|---|---|---|---|
| चितौड़गढ़ | भदेसर | भदेसर | 4 | 0.3598 |

यह घोशणा भूमि अधिग्रहण अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013( अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों से उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। बाद जॉच उनके निस्तारण कर एवं सरकार द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त की गई है।

कोयला, लौहा , पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खदानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनको खोदा जाना आवश्यक हो सकता है। ऐसे भोगों को छोड़कर/निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जायेगा, ऐसी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।

भूमि का नक ाा (प्लॉन) का fujh{k.k@voyksdu भूमि अवाप्ति सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भूमि अवाप्ति उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चितौड़गढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

प्रभावित क्षेत्र का विवरण
ग्रामः– भदेसर तहसील :– भदेसर जिलाः– चितौड़गढ़

| क्र. सं. | खसरा संख्या | सम्पूर्ण क्षेत्रफल (हे0 में) | शीर्षक का प्रकार | भूमि का प्रकार | अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर) | व्यक्ति का नाम और पता | सीमाओं का विवरण | | | | वृक्षों का विवरण | | संरचनाओं का विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | उत्तर | दक्षिण | पूरब | पश्चिम | किस्म | संख्या | प्रकार | कुल क्षेत्रफल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 977/694 | | निजी | आबादी | 0.1096 | प्रितमकुंवर पत्नी केसर सिंह | 695 | 694 | 913/714 | 0.2453 687 | | | | |
| 2 | 914/714 | 0.10 | सरकारी | बंजड़ द्वितीय | 0.0059 | जन.स्वा. अभि. विभाग, भदेसर (99 वर्ष की लीज पर) | 714 | 914/714 | 687 | 687 | | | | |
| 3 | 913/714 | 0.10 | सरकारी | बंजड़ द्वितीय | 0.0612 | प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर (99 वर्ष की लीज पर) | 893/714 | 934/693 | 695 | 695 | | | | |
| 4 | 968/774 | 1.28 | सरकारी | बंजड़ 1 | 0.1831 | तहसील भवन भदेसर हेतु आरक्षित | 924/774 | 815 | 774 | 774 | | | | |
| Total | | | | | 0.3598 | | | | | | | | | |

भूमि अधिग्रहण रिपोर्ट धारा–11 (1) की अधिग्रहण एवं मुआवजा आदे ा पारदर्ि ाता अधिकार अधिनियम व राजस्थान सरकार का राजस्थान राज पत्र वि ोशांक सितम्बर 18, 2023 के अनुसरण में भूमि अधिग्रहण रिपोर्ट धारा–19(1) तैयार की गई है।

संयुक्त सचिव (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के राजकाज नं.15743328 **दिनांक 16.06.2025** के द्वारा धारा 4(1) जारी की जा चुकी है।

संयुक्त सचिव (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक **एफ 2(29) /PW /AAS/SecII/2025-26/D-**राजकाज नं. 16398276 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा धारा 7 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण मूल्यांकन हेतु बहु ाखीय वि ोशज्ञ समूह का गठन किया गया। समूह के गठन के उपरान्त अधि ाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड निम्बाहेड़ा के पत्रांक 445 दिनांक 14.08.2025 के द्वारा मिटिंग आयोजित की जा चुकी है।

संयुक्त सचिव(पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक दिनांक 08.09.2025 के द्वारा धारा 11(1) जारी की जा चुकी है। जिसका प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति भदेसर बाईपास सड़क निर्माण कार्य एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चितौड़गढ़ कार्यालय में और कार्य दिवस के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर भूमि की एक योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

धारा 19 मुताबिक आदे ा प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चितौड़गढ़ के पत्रांक 2025–26/157 दिनांक 27.11.2025 के द्वारा धारा 19 की कार्यवाही की जा रही है।

अधिग्रहण की आपतियों यदि कोई हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 (इक्कीस दिनों ) के भीतर इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है।

आर.के. लूथरा,
**संयुक्त सचिव(पथ)**
**सार्वजनिक निर्माण विभाग**
**राजस्थान जयपुर।**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।